



बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड

(बिहार सरकार का एक उपक्रम)

प०नि०वि० यांत्रिक कर्मशाला परिसर (पटना हवाई अड्डा के नजदीक)

शेखपुरा, पटना-800014

दूरभाष नं० - 0612-2226711, फ़ैक्स नं०- 0612-2226723

पत्रांक-BSRDC Ltd- 2686/2018

पटना, दिनांक-

कार्यालय आदेश- 1156

बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि० के विज्ञापन सं०-PR-10396(Ni.Ni.)2018-19 द्वारा विज्ञापित वरीय एकाउंट्स एग्जीक्यूटिव के पद पर निम्नांकित अभ्यर्थियों को निम्नांकित शर्तों एवं बन्धेजों के अधीन संविदा के आधार पर मूल वेतन रू० 13000 + D.A. प्रति माह पर एक वर्ष के लिए बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि० में नियोजित किया जाता है:-

क्र० सं०	नाम	पिता/पती का नाम	जन्म तिथि	पता
1	श्री मुजफ्फर हसन रिजवी	मो० अब्बास	10.12.1983	हाउस नं०- 619, 2रा फ्लोर, लेन नं०- 09, जाकिर नगर (ओखला), नई दिल्ली- 110025
2	श्री राकेश रंजन	श्री रामनरेश प्रसाद	15.02.1991	द्वारा- श्री राजीव रंजन, एट- खदीधी बीघा, गोन्डापुर, नारदीगंज रोड, (निकट- बाबा का ढाबा, गोन्डापुर, बाईपास), नवादा- 805112
3	श्रीमती पुष्पा कुमारी	स्व० राजेन्द्र लाल दास	25.01.1987	बिहार स्टेट हाउसिंग बोर्ड, रेवेन्यू सेक्शन, 6, सरदार पटेल मार्ग, सचिवालय थाना के निकट, पटना- 800015
4	श्री गिरिजेश कुमार चौधरी	श्री रमाकान्त चौधरी	29.12.1986	द्वारा- श्री महेश्वर प्रसाद, बी-41, नन्दन होम्स अपार्टमेंट, खाजपुरा, शिव मंदिर के निकट, पटना- 800014
5	श्री रविकान्त कुमार	श्री अरुण कुमार	06.06.1986	पिता- श्री अरुण कुमार, फ्लैट नं०- 202, जगन्नाथ इन्क्लेव, रोड नं०- 10, ईस्ट पटेल नगर, पटना- 800023
6	श्री अंकित खेरीवाल	श्री गजानन्द खेरीवाल	12.09.1991	मेसर्स सुन्दर गारमेंट्स, कारगली बाजार, बेरमो, बोकारो- 829104
7	श्री राज कुमार	स्व० नन्हक महतो	04.01.1984	पिता- स्व० नन्हक महतो, मुसल्लहपुर चाई टोला, देवी स्थान, पो०- महेन्द्र, पटना- 800006
8	श्रीमती एकता प्रियवन्दना	श्री कुमार गौरव	05.02.1985	द्वारा- श्री सरोजानन्द सिंह, रजिस्ट्रार इनचार्ज, सिविल कोर्ट, नवादा- 805110
9	श्री आकाश अग्रवाल	श्री मेघराज अग्रवाल	06.12.1989	द्वारा- ढेबुरी देवी, माणिकचन्द जैन, मदन लाल जैन गली, कामधेनु लेन, कंकड़बाग, पटना- 800020
10	श्री रजनीश कुमार	श्री महेश्वर प्रसाद	28.08.1988	बी-41, नन्दन होम्स अपार्टमेंट, खाजपुरा, शिव मंदिर के निकट, पटना- 800014

1. यह नियोजन स्थायी रूप से सृजित पदों के विरुद्ध अधिकतम एक वर्ष के लिये है, जिसमें प्रथम 3 महीना परीक्ष्यमान अवधि होगी। इस अवधि में कार्यक्षमता, दक्षता तथा सामान्य व्यवहार संतोषजनक पाये जाने पर ही अगले नौ महीने का नियोजन विस्तारित किया जा सकेगा।
2. यदि संविदा के अवधि की समाप्ति के पूर्व उसका विस्तार नहीं हो जाता है तो यह नियोजन स्वतः समाप्त समझा जायेगा। इसके लिये कोई आदेश निर्गत किया जाना अपेक्षित नहीं होगा।
3. संविदा के आधार पर नियोजित अभ्यर्थी सरकारी सेवक नहीं माने जायेंगे और सरकारी सेवक को अनुमान्य किसी भी सुविधा के हकदार नहीं होंगे। संविदा के आधार पर नियोजन के बाद सरकारी सेवा में नियमितीकरण का उनका कोई भी दावा अनुमान्य नहीं होगा।
4. यह नियोजन पूर्णतः औपबंधिक होगा जिसकी सम्पुष्टि मूल प्रमाण पत्रों के सत्यापन, पुलिस सत्यापन तथा परीक्ष्यमान अवधि के संतोषजनक समाप्ति के पश्चात् ही होगी। शैक्षणिक योग्यता एवं अन्य अर्हताओं की जाँच संबंधित संस्थान/सक्षम प्राधिकार से कराये जाने के बाद यदि प्रमाण पत्र गलत पाया जाता है तो अभ्यर्थी की सेवा तत्क्षण समाप्त कर दी जायेगी एवं उनको भुगतान किये गये पारिश्रमिक की वसूली नियमानुसार की जायेगी। साथ ही साथ अन्य वैधानिक कार्रवाई भी की जायेगी।

5. संविदा पर नियोजित व्यक्ति का पदस्थापन तथा स्थानांतरण का पूर्ण अधिकार बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, पटना का होगा।
6. नियोजन संविदा अवधि (कन्ट्रैक्ट पीरियड) की समाप्ति के पूर्व उभय पक्षों द्वारा एक माह की पूर्व सूचना या एक माह की संविदा राशि का एकमुश्त भुगतान कर समाप्त की जा सकेगी।
7. योगदान के पश्चात् नियोजित व्यक्ति को बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि० के साथ विहित प्रपत्र में एक अनुबंध हस्ताक्षरित करना अनिवार्य होगा, जिसकी सभी शर्तें मान्य होंगी। नियोजित व्यक्ति द्वारा उक्त अनुबंध के किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में अनुबंध एवं नियोजन स्वतः रद्द समझा जायेगा।
8. योगदान के समय नियोजित व्यक्ति को निबंधित चिकित्सक द्वारा संलग्न विहित प्रपत्र में निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र समर्पित करना होगा। साथ ही योगदान के समय सभी मूल प्रमाण पत्रों को जांच हेतु प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
9. पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी योगदान के समय संबंधित अंचलाधिकारी से निर्गत क्रीमीलेयर रहित जाति प्रमाण-पत्र समर्पित करना सुनिश्चित करेंगे।
10. नियोजित अभ्यर्थी बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि०, प०नि०वि०, यांत्रिक कर्मशाला परिसर (पटना हवाई अड्डा के नजदीक), शेखपुरा, पटना-800014 में अविलम्ब योगदान समर्पित करेंगे।
11. पद ग्रहण करने के लिये किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

अनु०-यथोक्त।

ज्ञापांक-BSRDC Ltd- 2686/2018 - 863

प्रतिलिपि: सभी चयनित अभ्यर्थियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

(संजय कुमार)

मुख्य महाप्रबंधक

पटना, दिनांक- 06-02-2019

मुख्य महाप्रबंधक

MEDICAL CERTIFICATE

Under Article 49 Civil Service Regulations

I do hereby certify that I have examined.....
.....
.....
..... a candidate for employed in the Department and cannot discover that he/she has any disease, constitutional affection or bodily infirmity except

I consider/do not consider this a disqualification for employment in the office of

His/her age is, according to his/her own statement..... years, and by appearance About years.

Place :

Date :

Surgeon

DECLARATION BY CANDIDATE

I, "....."

a candidate for employment in the Government of Bihar do hereby declare that I have not any time been pronounced unfit for Government by the Medical Board at the India Office in England or any other constituted medical authority.

Date :

Signature of Candidate

N.B. - Words not applicable should be through,

Note to article 49. Civil Service Regulations:-

When an officer in whom a defect has been noticed by the examining officer is transferred from one office to another the duties of which are different, in character a commissioned Medical Officer in – charge of a civil station (or in the case of an office employed in a State Railway) should report whether the defect will material interfere with the officer transferred.

Note : - I exeray case if the opinion of the Medical Officer is Medical Board through the Departmental head (prosecative) of the applicat, and the decision of the Board shall be final.

Name of candidate to be written in fill.

